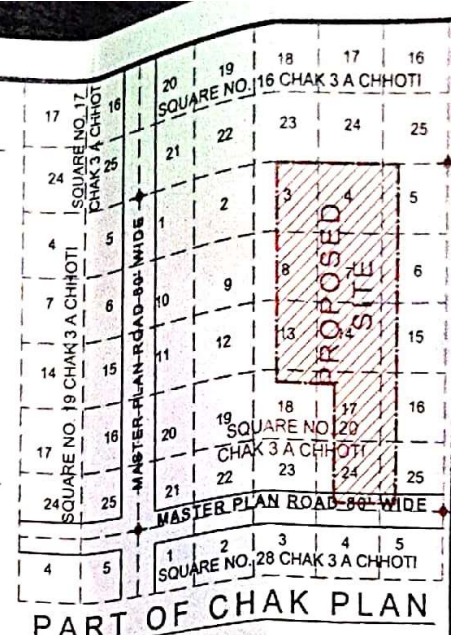
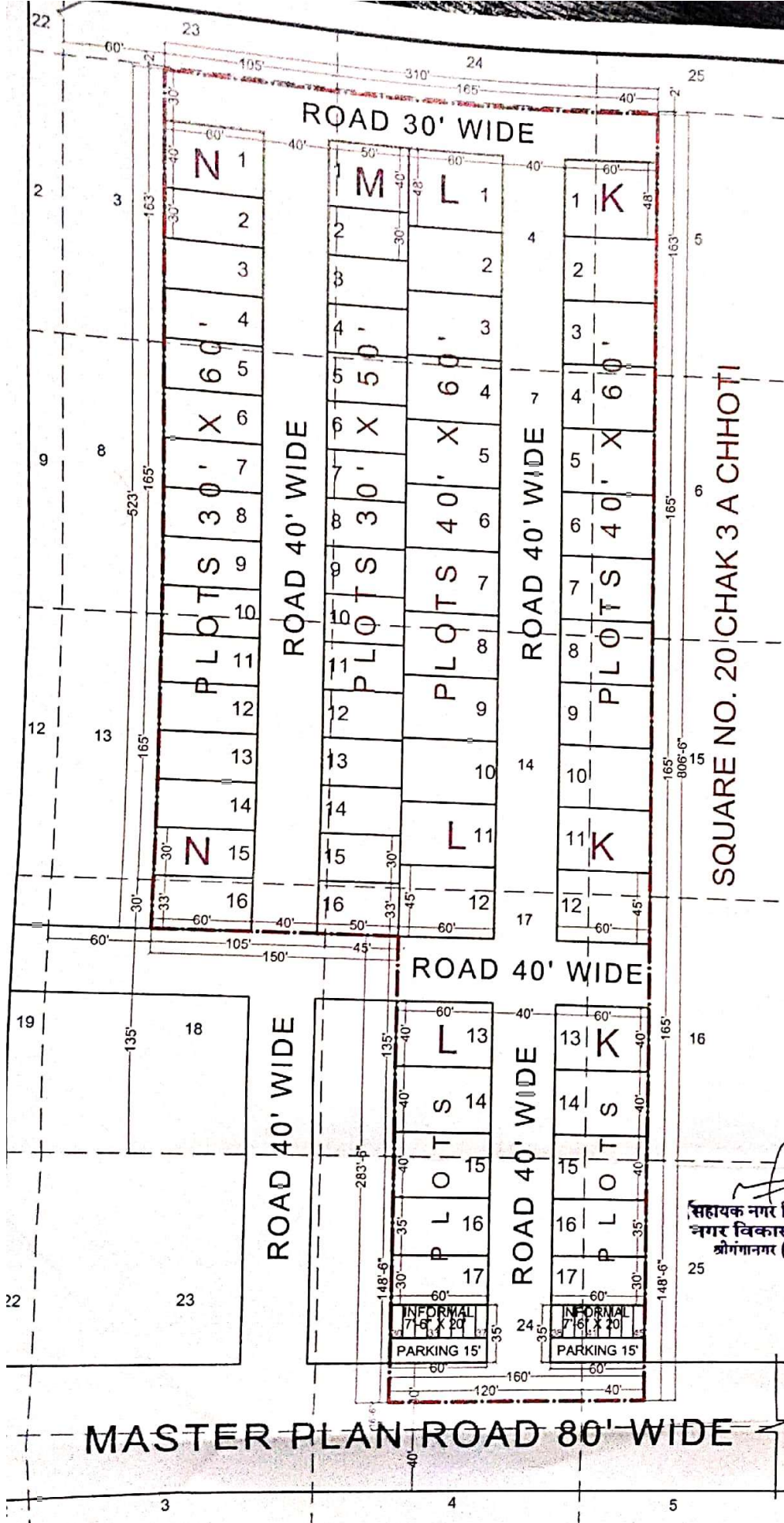




- REFERENCE :-
1. JAMABANDI AREA SHOWN THUS :-
 2. KILLA LINE SHOWN THUS :-
 3. SQUARE POINT SHOWN THUS :-
 4. JAMABANDI AREA :- 207490.00 Sq. Ft. OR 1.9283 Hect.
 5. SCALE 1" = 64'
 6. OWNER :-

LAND USE ANALYSIS :-
TOTAL LAND 207490.00 Sq. Ft.

S. NO.	PARTICULAR	AREA IN Sq. ft.	%TAGE
1	RESIDENTIAL	135590.00 Sq. ft.	65.35 %
2	INFORMAL	4200.00 Sq. ft.	2.02 %
3	ROAD	67700.00 Sq. ft.	32.63 %
TOTAL		207490.00 Sq. Ft.	100.00 %

न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान संपिनि हई
बैठक दिनांक 12/5/2025 में साईट प्लान/ले
आउट प्लान पत्रिक 245/72 दिनांक 13/5/2025
द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित किया गया।

सहायक नगर नियोजक अतिशाही अभियन्ता
नगर विकास न्यास नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

सचिव
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

LAYOUT - PLAN

LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 3,4,5,6,8,13,15,16,17,18,24,25(EACH PART) 7,14
SQUARE NO. 20 CHAK 3 A CHHOTI AT Teh. & Dist. SRI GANGANAGAR





राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



क्रमांक :- नियोजन/2025/ 632

दिनांक :- 13/05/2025

ले आउट प्लान समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक पं. 3(90)नविवि3/2012 जयपुर दिनांक 21.06.2012 के बिन्दु सं. 32 द्वारा न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.05.2025 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. श्री अशोक कुमार असीजा, सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
2. श्री सुरेन्द्र पुनियां, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
3. श्री अमित कुमार, सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत प्राप्त प्रकरणों में ले आउट प्लान/साईट प्लान के अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है :-

एजेण्डा सं. 01

क्र.सं.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
	आवेदन सं.	LU2012/SGN/2025-26/101352
1	आवेदक का नाम व पता	श्रीमती नेहा पत्नी श्री कृष्ण वंसल निवासी 62 शंकर कॉलोनी, मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर एवं श्रीमती श्वेता जिंदल पत्नी श्री विकास जिंदल निवासी 01, 02, 03 फ्रेंड्स कॉलोनी, नजदीक चहल चौक, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 4 ए छोटी मुख्या नं. 29 के किला नं. 6/3 में 0.1145 हैक्टे. किला नं. 15/2 में 0.2223 हैक्टे. किला नं. 16/1 में 0.2223 हैक्टे. किला नं. 25/2 में 0.2223 हैक्टे. कुल 0.7814 हैक्टे. एवं मुख्या नं. 30 के किला नं. 9/2 में 0.0474 हैक्टे. किला नं. 10/2 में 0.1303 हैक्टे. किला नं. 11 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 12/1 में 0.0920 हैक्टे. किला नं. 19/1 में 0.0920 हैक्टे. किला नं. 20 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 21 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 22/1 में 0.0920 हैक्टे. कुल 1.2127 हैक्टे. यथाकुल 1.9941 हैक्टेयर
3	भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान अनुसार	आवासीय प्रयोजनार्थ
4	आवेदन अनुसार चाहा गया प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ
5	मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान अनुसार पहुँच मार्ग की स्थिति एवं मौके पर	आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- ult_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

एजेण्डा सं. 09

क्र.स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
	आवेदन सं.	LU2012/SGN/2025-26/101349
1	आवेदक का नाम व पता	श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री मुरली मनोहर एवं श्री मुरली मनोहर पुत्र श्री बृज लाल निवासी 03 बी 14 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 3/1 में 0.1590 हैक्टे. किला नं. 4/2 में 0.2499 हैक्टे. किला नं. 5/1 में 0.0606 हैक्टे. किला नं. 6/1 में 0.0613 हैक्टे. किला नं. 7 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 8/1 में 0.1610 हैक्टे. किला नं. 13/1 में 0.1610 हैक्टे. किला नं. 14 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 15/1 में 0.0617 हैक्टे. किला नं. 16/1 में 0.0617 हैक्टे. किला नं. 17/1 में 0.1965 हैक्टे. किला नं. 18/1 में 0.0293 हैक्टे. किला नं. 24/1 में 0.1659 हैक्टे. किला नं. 25/1 में 0.0544 हैक्टे. यथाकुल 1.9283 हैक्टेयर
3	भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान अनुसार	आवासीय प्रयोजनार्थ
4	आवेदन अनुसार चाहा गया प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ
5	मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान अनुसार पहुँच मार्ग की स्थिति एवं मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग की चौड़ाई	आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है।
6	आवेदित भूमि का मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाली भूमि का विवरण	आवेदित भूमि का मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान रोड के अन्तर्गत 23'-6" गुणा 160' फीट आता है।
7	राजस्थान भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 90-क	प्रस्तावित भूमि का 90 ए आवेदन क्रमांक LU2012/SGN/2025-26/101349 दिनांक 22.04.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित है।
8	तकनीकी परिक्षण का आधार एवं सक्षमता	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविनि/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/आवंटन/नियमन हेतु विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों में उल्लेखित अनुज्ञेय उपयोगों/गतिविधियों के लिये निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगरA. Sonica
अधिराशी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगरसचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

		अनुसार परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर 90-ए व तत्संबंधित कार्यवाही की जा सकेगी।															
9	आवेदित भूमि के तकनीकी परिक्षण के अनुसार मानदण्ड तकनीकी	1. प्रकरण में आवेदित भूखण्ड का प्रयोजन मास्टर प्लान 2017-2035 एवं जोनल प्लान के अनुरूप आवासीय प्रयोजनार्थ है। 2. राजस्थान टउनशिप पॉलिसी 2010 एवं विभागीय आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 2 हैक्टेयर तक आवासीय योजना हेतु पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 12 मीटर/40 फीट निर्धारित है। आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। 3. योजना के राजस्थान टउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार प्रस्तावित ले आउट प्लान में भूमि का वर्गीकरण निम्नानुसार है:- <table> <tr> <th>प्रयोजन</th><th>AREA (वर्गफीट)</th><th>प्रतिशत</th></tr> <tr> <td>आवासीय</td><td>135590.00</td><td>65.35 %</td></tr> <tr> <td>इन्फोरमल</td><td>4200.00</td><td>2.02 %</td></tr> <tr> <td>सड़क</td><td>67700.00</td><td>32.63 %</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>207490.00</td><td>100.00%</td></tr> </table>	प्रयोजन	AREA (वर्गफीट)	प्रतिशत	आवासीय	135590.00	65.35 %	इन्फोरमल	4200.00	2.02 %	सड़क	67700.00	32.63 %	कुल	207490.00	100.00%
प्रयोजन	AREA (वर्गफीट)	प्रतिशत															
आवासीय	135590.00	65.35 %															
इन्फोरमल	4200.00	2.02 %															
सड़क	67700.00	32.63 %															
कुल	207490.00	100.00%															

निर्णय :- उपरोक्तानुसार तकनीकी मानदण्ड पूर्ण होने पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत आवेदित प्रकरण में निम्न शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ लेआउट प्लान का अनुमोदन किया जाता है।

- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊँचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भयन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- भयन विनियम 2020 के बिन्दु सं. 113.2 अनुसार सड़क पर सुविधाजनक मोड़ (बुक्कड़) हेतु योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रिडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा। जिसकी सुनिश्चिता निर्माण स्वीकृति के दौरान की जानी होगी।
- योजना में स्वीकृत इन्फोरमल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
- योजना की समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णनानुसार 2 हैक्टेयर तक की प्लॉटेड डवलमेन्ट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिसायी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर





राजस्थान सरकार

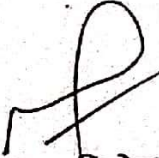
75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

- से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान एवं समय-समय पर जारी विभागीय आदेशों की पालना सुनिश्चितता की जानी होगी।
6. योजना/स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़कें, नालियां, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, पार्क होर्टिकल्चर, सीवरेज एवं पेयजल आदि टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता आवेदक द्वारा की जानी होगी।
 7. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 की पालना में उक्त योजना का रेरा में पंजीकरण के उपरान्त ही आवेदक द्वारा पट्टे हेतु आवेदन किया जावेगा। रेरा में पंजीकरण नहीं होने पर न्यास द्वारा उक्त योजना में पट्टा जारी नहीं किया जावेगा।
 8. आवेदित योजना के आस-पास अनुमोदित योजनाओं की स्वीकृत सड़कों का प्रश्नगत योजना में यथा संभव मिलान किया जाना होगा।
- नोट- उक्त योजना का अनुमोदन प्रश्नगत भूमि के 90 ए आदेश जारी होने के उपरान्त ही मान्य होगा।


सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


अधिसाक्षी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर


सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

Azadi Ka
Amrit Mahotsav



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com

Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री मुरली मनोहर एवं श्री मुरली मनोहर पुत्र श्री बृज लाल निवासी 03 बी 14 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 3/1 में 0.1590 हैक्टे. किला नं. 4/2 में 0.2499 हैक्टे. किला नं. 5/1 में 0.0606 हैक्टे. किला नं. 6/1 में 0.0613 हैक्टे. किला नं. 7 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 8/1 में 0.1610 हैक्टे. किला नं. 13/1 में 0.1610 हैक्टे. किला नं. 14 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 15/1 में 0.0617 हैक्टे. किला नं. 16/1 में 0.0617 हैक्टे. किला नं. 17/1 में 0.1965 हैक्टे. किला नं. 18/1 में 0.0293 हैक्टे. किला नं. 24/1 में 0.1659 हैक्टे. किला नं. 25/1 में 0.0544 हैक्टे. यथाकुल 1.9283 हैक्टेयर भूमि का 90 ए आवेदन क्रमांक LU2012/SGN/2025-26/101349 दिनांक 22.04.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 14.08.2025 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। उक्त भूमि का ले आउट प्लान नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविनि/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/आवंटन/नियमन हेतु विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों में उल्लेखित अनुज्ञेय उपयोग/गतिविधियों के लिये निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर 90-ए व तत्संबंधित कार्यवाही किये जाने के क्रम में न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.05.2025 के कार्यवाही विवरण नियोजन/2025/632 दिनांक 13.05.2025 के एजेन्डा संख्या 09 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित है। खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवासीय योजना का नाम **Ridhi Sidhi Enclave 9 Sector 1 Extension** रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार न्यास द्वारा (जारी माँग पत्र क्रमांक ऑनलाईन राजकाज रैफ 17353593 दिनांक 25.08.2025 में अंकित राशि) अनुसार आवेदित भूमि के बाह्य विकास शुल्क की राशि 19,28,300/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 3,85,660/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 15,42,640/- रुपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 21,42,862/- रुपये एवं बीएसयूपी शैल्टर फंड राशि 3,24,676/- रुपये यथाकुल राशि 40,10,178/- रुपये जरिये रसीद संख्या 99-1730 दिनांक 29-08-2025 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा योजना के आन्तरिक समस्त विकास कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड {Resi. K-13, K-14, K-15, L-13, L-14, L-15 Each Size 40'-0" X 60'-0" Feet, K-16, L-16 Each Size 35'-0" X 60'-0" Feet, K-17, L-17 Each Size 30'-0" X 60'-0" Feet, Informal-A Shop-30 to Shop-37, Informal-B Shop-38 to Shop-45 Each Size 7'-6" X 20'-0" Feet, Total 10 Resi. Plots & 16 Informal Shops (Total 26 Nos.)} न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार/विकासकर्ता श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री मुरली मनोहर एवं श्री मुरली मनोहर पुत्र श्री बृज लाल निवासी 03 बी 14 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा प्रस्तुत अण्डरटैकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

---1/3---

ATP/ PAGE405

Ashok Gupta

Murli Manohar



Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja

Designation : Secretary

Date: 2025.09.17 17:22:03 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17647492

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner